

FAX

पत्रांक-01 / प्रा0आ0-03 / 2011 /5297..... / आ0प्र0

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव,

सेवा में,

जिला पदाधिकारी
गोपालगंज / सारण / सिवान।

पटना-15, दिनांक- 9/12/13

विषय:- सारण जिला को बाढ़ (प्राकृतिक आपदा) के कारण बाढ़ राहत शिविर हेतु टेन्ट क्रय करने हेतु नोडल जिला बनाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक 765 दिनांक-10.03.11 के प्रसंग में कहना है कि उक्त विभागीय पत्र द्वारा निर्णय लिया गया था कि नोडल जिलों द्वारा अपने साथ संबद्ध सभी जिलों के लिए निविदा आमंत्रित कर टेन्टों का क्रय किया जाए।

2. इसी क्रम में गोपालगंज, सारण, एवं सिवान जिलों के लिए गोपालगंज जिला को नोडल जिला बनाया गया। परन्तु गोपालगंज जिला द्वारा अब तक टेन्ट का क्रय नहीं किया गया एवं कोई रुचि नहीं ली जा रही है। अतएव सारण जिला को गोपालगंज, सारण, एवं सिवान जिलों के लिए टेन्ट क्रय हेतु नोडल जिला नामित किया जाता है।

3. जिला पदाधिकारी, सारण शीघ्रातिशीघ्र निविदा आमंत्रित कर क्रय समिति के माध्यम से दर निर्धारित करते हुए टेन्टों का क्रय सुनिश्चित करेंगे। निविदा के उपरांत दर निर्धारित कर क्रय हेतु राशि का आकलन कर फैंक्स के माध्यम से उनके द्वारा राशि की मांग इस विभाग से की जाएगी ताकि उन्हें ससमय राशि आवंटित की जा सके।

4. जिला पदाधिकारी, सारण क्रय किए जाने वाले टेन्टों की संख्या का निर्धारण इस प्रकार से करेंगे ताकि प्रत्येक संबद्ध जिले में 500-500 व्यक्तियों के आवास योग्य 2-2 मेगा कैम्पों का निर्माण आवश्यकता पड़ने पर किया जा सके। इसके लिए वे भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता से सुझाव प्राप्त कर सकते हैं।

5. राष्ट्रीय आपदा रिस्पांस बल से टेन्टों के साईज के संबंध में जानकारी प्राप्त की गयी है जो संलग्न है। इससे ज्ञात होगा कि प्रत्येक टेन्ट की साईज क्या हो सकती है।

6. इस प्रकार क्रय किए गए टेन्टों का भंडारण जिला पदाधिकारी, सारण अपने जिले में निरापद स्थान पर करेगे। बाढ़ की स्थिति में विभाग के दिशा निर्देश के आलोक में टेन्ट भंडार में से आवश्यक टेन्ट संबद्ध/अन्य जिलों को उपलब्ध कराया जा सकता है जो बाढ़ समाप्ति के उपरान्त नोडल जिले को वापस लौटा दिए जाएंगे। क्रय किये गये टेन्ट नोडल जिला की सम्पत्ति होगी।

अतएव अनुरोध है कि जिला पदाधिकारी, सारण उपरोक्तानुसार आवश्यक संख्या में बाढ़ राहत शिविरों हेतु टेन्ट का क्रय शीघ्रातिशीघ्र सुनिश्चित करें।

अनुलग्नक :- यथोपरि।

विश्वासभाजन

27/11 ✓
(ब्यास जी)
प्रधान सचिव

(5)

For kind attention to SHRI GAGAN JEE, DM SECRETARIAT

No.Prov/Procurement/9 Bn NDRF/11/ 1549

HQrs 9 Bn NDRF,
NH-30, Ara Road,
Bihta(Patna)
Pin - 801103
Email - ndrffpatna@gmail.com

Dated, the 22 Feb 2011

SA Prasad
22/2/11
To
Shri Suraj Prasad,
Joint Secretary,
Patna

Subject :- **SPECIFICATION OF TENT REQUIRED FOR VICTIMS OF FLOOD**

Please refer to your office letter No. 1 Natural Disaster - 03/2011/487/ Disaster Management Department dated 21/02/11.

2. The following types of tents have been planned for procurement for National Disaster Response Reserve (NDRR)

- a) Family Ridge Tent Water Penetration Resistance (Single Fly)
Size - 4 x 4 meter with complete accessories.
- b) Family Ridge Tent (Double Fly)
Size - 4 x 4 meter outer height 2.15 mtr with complete accessories
- c) Tent Extendable
Size - 4 x 4 meter with accessories.

S14
22/2/11

A K Jha
22/2/11
(A K JHA)DC/QM
FOR COMMANDANT
9 BN NDRF